

**आदेश**

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित संस्थाओं में स्थानांतरित किया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	संस्था जहाँ स्थानांतरित किया गया	संस्था जहाँ स्थानांतरित किया गया
1.	राजेश	रजिस्ट्रार	राज0पाली0	राज0पाली0
2.	विष्वास कुमार	रजिस्ट्रार	बरेली	ग0 शामली
3.	मुकेश कुमार	-तदेव-	बरेली	ग0 मुरादाबाद
4.	मनीष कुमार	-तदेव-	ग0 बरेली	शाहजहांपुर
5.	पी0सी0 गुप्ता	-तदेव-	एस0जी0एस0जे0 पाली0 सुर्जा	ग0 बादलपुर
6.	प0सी0 शर्मा	-तदेव-	ग0 नैनीपुरी	एस0जी0एस0जे0 पाली0 सुर्जा
7.	सुरेश पात्र	-तदेव-	ग0 अमोठी	लखनऊ
8.	बी0एस0 सिंह	-तदेव-	गोण्डा	गोण्डा
9.	सनेश कुमार सिंह	-तदेव-	फैजाबाद	उन्नाव
10.	जिनेश कुमार	-तदेव-	ग0 शामली	गोण्डा
11.	विमल मिश्रा	रजिस्ट्रार	हार्दो	ग0 अमोठी
12.	एस0पी0 श्रीवास्तव	-तदेव-	घाटमपुर	ग0 गोरखपुर
13.	नीरज जोशी	रजिस्ट्रार	फर्रुखाबाद	गोण्डा
14.	जे0पी0 सिंह	रजिस्ट्रार	मुरादाबाद	गोण्डा
15.	हरि सिंह	-तदेव-	गोण्डा	ग0 बादलपुर
16.	राजेश सिंह	-तदेव-	शाहजहांपुर	मुरादाबाद
17.	राजेश शर्मा	-तदेव-	ग0 हार्दो	ग0 शामली
18.	आर0एम0 त्रिपाठी	-तदेव-	फैजाबाद	शाहजहांपुर
19.	पी0सी0 शर्मा	रजिस्ट्रार	फर्रुखाबाद	घाटमपुर
20.	अशोक सिंह	रजिस्ट्रार	एस0जी0एस0जे0 पाली0 सुर्जा	गोण्डा
21.	एस0एम0 शर्मा	-तदेव-	गोण्डा	बिजनौर
22.	महेश शर्मा	-तदेव-	हर्दोई	फर्रुखाबाद
23.	के0के0 शर्मा	-तदेव-	बिजनौर	ग0 बादलपुर
24.	राजेश शर्मा	-तदेव-	ग0 बादलपुर	ग0 बादलपुर
25.	आर0एम0 त्रिपाठी	रजिस्ट्रार	एस0जी0एस0जे0 पाली0 सुर्जा	हार्दो

उपरोक्त क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 24 तथा 25 पर नीचे उल्लिखित अधिकारियों को स्थानांतरण कार्य के अनुषंग में होने के कारण उन्हें निरिरी प्रकार का पत्र भेजा जा रहा है। क्रमांक 10, 19 तथा 20 पर अंकित अधिकारियों को स्थानांतरण कार्य के अनुषंग में तथा शेष को स्थानांतरण अनिहित में है।

क्रमांक 24 पर अंकित अधिकारी एस0एम0, बादलपुर में सम्बद्ध रहकर पूर्व से ही कार्यवाही पर का कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

उपरोक्त क्रमांक 17, 21, 22 तथा 23 पर अंकित अधिकारी तैनाती स्थान पर अगले कार्यवाही पर का कार्य सम्पादित करेंगे। उन्हें इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जायेगा।

स्थानांतरण किये गये उपरोक्त अधिकारियों को प्रतिस्वामी की प्रतीक्षा किये बिना अतिरिक्त कार्यवाही पर का कार्य तैनाती स्थान पर सम्पादन के पश्चात् संस्था सुलभ की तिथि 06/10/2023 को कार्यालय अहम के निर्देश में।

उपरोक्त स्थानांतरण आदेश की अवहेलना अनुशासकीयता की परिधि में आना जायेगा। स्थानांतरित अधिकारियों का कोई प्रत्यावेदन अन्यायित न किया जाये और यदि कोई अधिकारी इस